ला0अनु0/प्रपत्र-12

पर्यवेक्षकों की क्षमता प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थन पत्र

संख्या .... जिला ....

1- आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में): ....

2- पिता का नाम ....

3- जाति ....

4- डाक का पूरा नाम ....

....

....

5- जन्म दिनांक
(जो प्रमाण-पत्र में दिया है) ....

6- प्रमाण पत्र परमिट

(क) प्राविधिक अर्हतायें-

1) प्राविधिक संस्था का नाम ....

....

2) प्राप्त की गयी डिग्री या डिप्लामा या सर्टिफिकेट ....

3) शिक्षा की अवधि ....

4) प्रशिक्षण की अवधि ....

(ख) प्राविधिक अर्हतायें:

1)फर्म आदि का नाम ....

2) प्रशिक्षण की अवधि ....

7. पिछली और वर्तमान सेवा के ब्यौरे (जिसकी पुष्टि के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ संलग्न की जायें)

1) सेवायोजको का नाम ....

2) प्रारम्भ होने का दिनांक ....

3) समाप्ति का दिनांक ....

4) कुल सेवावधि ....

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं रू0 225/- का कोषागार चालान (संख्या .... दिनांक ....) दो प्रमाणित फोटोग्राफ (एक सामने की ओर और दूसरा पृष्ठ भाग पर) एवं दो हस्ताक्षर यथाविधि प्रमाणित और स्तम्भ-4 से 7 तक दिये गये विवरणों की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है।

दिनांक------------ --------------

प्रार्थी के हस्ताक्षर

निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में:-

(1)----------------------------

(2)-----------------------------

यह आवश्यक है कि इस आवेदन पत्र पर किसी मजिस्ट्रेट अथवा किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेवा योजक की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना है तथा उसमें सभी ब्यौरों का लाजमी तौर पर पूरा दिया जाना जरूरी है । यदि ऐसा न होगा, तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

आवश्यक: कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत बयानी करें या उसमें सहायक हो तो उस पर फौजादारी का मुकदमा चलाया जायेगा।

अनुदेश

1. यह प्रार्थना पत्र भर कर निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय को एक रजिस्टर्ड ए/डी लिफाफे में

भेजा जाना चाहिए और उसके साथ प्रार्थी के हाल ही के खींचे गये बिना मढ़े हुए दो ऐसे फोटोग्राफ लगाना चाहिए जो नाम लिखकर एक सामने से व एक पीछे से यथाविधि प्रमाणित किये गये हो। प्रार्थना पत्र के साथ शीर्षक- ‘‘0043- विद्युतकर तथा शुल्क, 102- भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस’’ के अधीन जमा किया गया, रूपया 225/- का कोषागार चालान भी होना चाहिये।

2. प्रार्थना पत्र के साथ दो नमूने के हस्ताक्षत प्रमाणित करवा कर भेंजे।

3. यादि प्रार्थना पत्र में दिये गये पते में कोई परिवर्तन हो जाय तो उसकी सूचना इस कार्यालय को तुरन्त दी जानी चाहिये अन्यथा पत्र पहुॅचने में विलम्ब या उसके प्राप्त न होने के लिए कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व न होगा।

अनुदेश

1- आवेदन-पत्र परीक्षक परिषद् (विद्युत) ख्बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स (इलेक्ट्रिसिटी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अध्यक्ष के पास इस प्रकार भेजा जायेगा कि वह उनके पास निर्धारित दिनांक के पूर्व पहुँच जाय और उसके साथ निम्नाकिंत संलग्नक होने चाहिये--

(क) किसी ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जिसमें अर्हतायें दी हुई हों जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट Stipendiary (Magistrate)अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हो।

(ख) आवेदन - पत्र की फीस के भुगतान की पुष्टि में ट्रेजरी चालान।

284-ख

(ग) फोटोग्राफ की बिना माउन्ट वाली दो प्रतियां ¼2" x 2½"½ आकार की जो आवेदन-पत्र के दिनांक से 6 मास पहले की न हो तथा जिन पर नाम लिखा हुआ हो और जिसमें एक प्रति सामने की ओर तथा दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हो।

(घ) नमूना हस्ताक्षर की दो प्रतियों, जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हों।

(ङ) उस संस्था के मुख्य शैक्षिक अधिकारी के चरित्र का प्रमाण-पत्र, जहां आवेदक ने सबसे आखिर में अध्यन किया हो।

(च) सेवायोजक, यदि कोई, हो से चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(छ) किसी मजिस्ट्रेट से अधिवास (Domicile)) का प्रमाण-पत्र।

(ज) आयुसूचक प्रमाण-पत्र।

2- ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जो किसी प्रकार भी अपूर्ण हों अथवा निर्धारित दिनांक का बाद प्राप्त हुए हों।

3- चयन का परिणाम आवेदक को उस पते से भेज दिया जायेगा जो उसने आवेदन-पत्रों में दिया हो। इस संभावना से बचने के लिये कि चयन का परिणाम आदि गलत जगह न पहुँच जाय या उसके पहुँचने में विलम्ब हो जाय, यह सलाह दी जाती है कि अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा आवेदन पत्र के साथ भेजा जाय और यदि पते में कोई, परिवर्तन किया जाय तो उसे अध्यक्ष को अविलम्ब सूचित कर दिया जाय।

प्रपत्र-डब्लू-ए0

वायरमैन परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र

जिला..

1. आवेदक का नाम:(स्पष्ट अक्षरों में) ....

2. पिता का नामः ....

3. जाति: ....

4. डाक का पूरा पताः ....

....

....

5. जन्म तिथि: ....

6. प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हतायें: ....

7. आवेदन पत्र की 60 रू0 की फीस का ट्रेजरी चालान संख्या-...................................दिनांक ....द्वारा ट्रेजरी में भुगतान कर दिया गया है ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं, ऊपर उल्लिखित ट्रेजरी चालान के साथ दो फोटोग्राफ और स्तम्भ 6 में दिये गये विवरण की पुष्टि में प्रमाणित शील पत्रों (Testimonials)) की प्रतिलिपियां एतदद्वारा संलग्न की जाती है ।

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.......................

निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति मेः-

1..

2...

यह आवश्यक है कि इस आवेदन पत्र पर किसी मजिस्ट्रेट अथवा किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेवा योजक (Employer) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना है तथा उसमें सभी ब्यौरों का लाजमी तौर पर पूरा दिया जाना जरूरी है । यदि ऐसा न होगा, तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

....

आवश्यक: किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जो अपने लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये प्रमाण पत्र या परमिट प्राप्त करने के प्रयोजन से झूठा व्यपदेशन (Represention) करेगा या ऐसा करने में सहायता देगा ।

अनुदेश

1. आवेदन पत्र परीक्षक परिषद (विद्युत) बोर्ड ऑफ इक्जामिनर्स (इलेक्ट्रिसिटी), उत्तर प्रदेश लखनऊ के अध्यक्ष के पास इस प्रकार भेजा जायेगा कि वह उनके पास निर्धारित दिनांक के पूर्व पहुंच जाय औरा उसके साथ निम्नांिकंत संलग्न होने चाहिये:-

क) किसी ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जिसमें अर्हताएं दी हुई हों जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट (Stipendiary Magistrate) अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हों ।

ख) 13 रूपये के भुगतान की पुष्टि में ट्रेजरी चालान लिखे शीर्षक-''0043-बिजली पर कर और शुल्क, 102-भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस‘‘ के अधीन जमा किया जाना चाहिए ।

ग) फोटोग्राफ की बिना माउन्ट वाली दो प्रतियां (2''x 2'') आकार की जो आवेदन पत्र के दिनांक से 6 मास पहले की न हो तथा जिन पर नाम लिखा हुआ हो और जिसमें एक प्रति सामने की ओर तथा दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट (Stipendiary Magistrate) अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हों ।

घ) नमूना हस्ताक्षर की दो प्रतियां, जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित प्रमाणित हों ।

ड.) उस संस्था के मुख्य शैक्षिक अधिकारी के चरित्र का प्रमाण पत्र, जहां आवेदक ने सबसे आखिर में अध्ययन किया हो ।

च) सेवायोजक, यदि कोई, हो से चरित्र का प्रमाण पत्र ।

छ) आयु सूचक प्रमाण पत्र ।

2. ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा जो किसी प्रकार भी अपूर्ण हों अथवा निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त हुए हों ।

3. चयन का परिणाम आवेदक को उस पते से भेज दिया जायेगा जो उसने आवेदन पत्रों में दिया हो। इस सम्भावना से बचने के लिये

कि चयन का परिणाम आदि गलत जगह न पहुंच जाय या उसके पहुंचने में विलम्ब हो जाय, यह सलाह दी जाती है कि अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा आवेदन पत्र के साथ भेजा जाए और यदि पते में कोई परिवर्तन किया जाय तो उसे अध्यक्ष को अविलम्ब सूचित कर दिया जाय ।

4. उसे कदापि 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये और यदि उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उसें किसी रजिस्र्टड डाक्टर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा कि वे शारीरिक कार्य करने में समर्थ हैं ।

<u>वी0के0-59</u>

सुपरवाइजरों की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

1. प्रेषण तथा वितरण मेन (Transmission and distribution Mains)

(क) ओवरहेड लाइने--लो, मीडियम और हाई प्रेशर लाइनों के निर्माण का साधारण हिसाब और सामान्य सिद्धांत खम्भों की मजबूती मेहराबों की लम्बाई कन्डक्टरों की जगह सुनिश्चित करना (Spacing), क्रास आर्म्स ((Cross,arms), वायु का दबाव, शील (Sags), बर्फ तथा बर्फ के गिरने और जमने के तापक्रम का प्रभाव, तार का तनाव (Tension), विसंवाहन (Insulator),जैकिट, गार्डवायर, स्टेज ((Stays), स्ट्रट्स (Strats), बिजली से बचने के उपाय (Lighting Protective device), भू-संयोजन(Earthing), तड़ित निरोधन (Lightning arresters), तथा तड़ित संवाहक (Lightning Conductor), और उनका परीक्षण ।

(ख) भूमिगत (अंडरग्राउण्ड) केबिल सीधे भूमि में नॉद (Troughs), तथा पाइपों में केबिल बिछाने का सामान्य सिद्धांत तथा सरल आंकलन(Calculation), जंक्शन बक्सों की भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर हैंडलिंग , मोड़ना, जोड़ना तथा प्लम्बिंग (Plumbing), और वितरण बोर्ड और खम्भें, ज्वाइंट बाक्स कम्पाउन्ड, मेल्टिंग ऑफ कम्पाउन्डस तथा बक्सों में कम्पाउन्ड भरना।

2. मकान तथा सिनेमा की वायरिंग:-

(क) 1. क्लाएटं, तारनाली (Conduit), का विन्यास (Lay-out), आंकलन (Calculation), और अधिष्ठान, वूड केसिंग और केपिंग लेड या केब-टायर शीटेउ और आर्म्ड केबिल और विभिन्न प्रकार के अधिष्ठापन कार्य के लिये उपयुक्तता ।

2. बिजली के सहायक पुर्जे, धरेलू यन्त्रजात घंटियॉ, इंडीकेटर्स, और टेलीफोन ।

(ख) इन्सुलेटेड और तॉबे की एरियल लाइनें ।

(ग) अनुमान आवश्यकताओं की सूची और वायरिंग के रेखाचित्र तैयार करना ।

(ध) भूमिगत (Earth), कनेक्शनों की निरन्तर विद्यमानता (Continuity), क्षरण (Leatuge), इन्सुलेशन रेजिंस्टेन्स (Insulation resistance), का परीक्षण करना ।

(ड़) त्रुटि कहां पर है, इसका पता लगाना ।

(च) रोशनी करना-रोशनी के सामान्य सिद्धांत और प्रारम्भिक आंकलन (Calculation), (बिजली के लैंपो की किस्में) (Opertion),उनके लाभ तथा हानि औरउनका प्रयोग, बिजली सम्बन्धी चिन्ह, उन्हे लगाना, कनेक्शन, परिचालन तथा बरती जाने वाली सावधानी ।

3. सामान्य:-

(क) सम्बन्द्ध इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी और रूल्स की जानकारी ।

(ख) बिजली के झटके के बचाव उपचार की विधि और अवधि ।

(ग) ड्राइंगों, प्लानों एलीकेशन और बिजली तथा रोशनी के सर्किट डाइग्रामों के सैक्शन बनाना तथा उनको पढ़ना ।

वायरमैंन के लिये पाठ्यक्रम विषय

(1) क्लीट (Cleat) , बुड केसिंग और केपिंग (Wood casing and capping) , लेउ शीद्ड (Lead sheathod) , केब टायर (Cab-tyre)और कण्डयुट वायरिंग (Wiring) तथा निर्माण (Fittings) ।

(2) डिस्ट्रीब्यूशन बोडस (Distribution board), प्लग्ज और साकेट, लैम्प होल्डर्स, रेगुलेटर और स्विच सहित छत के पंखे के कनेक्शन तथा उनका रेखा-चित्र बनाना ।

(3) पोलेरिटी टेस्टिंग (Polarity testing) की रीति तथा सरकटि का पता लागाने के लिये बिजली की धंटी ओर टेस्ट लैम्प (Testing lamp) का प्रयोग ।

(4) नंगे तथा विसंवाहित (insulated) तारों द्वारा उपरितन्तु (overhead line) का निर्माण, तार और केबिल (cable) पर ज्वाइंटिंग (jointing) संटकन(oldering) प्लग और साकेट तथा उनके परिरूपण ।

(5) इलेक्ट्रिक सप्लाई लाईन या बैटरी (batterie) द्वारा बिजली की घंटी और सूचक (indicators) का अधिश्ठापन (installation) ।

(6) विसंवाहन रोघ (Isulation resistance), च्याव (loakage) , अर्थ कन्टीनियूटी (Earth continuty) का परीक्षण और अधिष्ठापन तथा घेरलू उपकरण के दोश की स्थिति को मालुम करना तथा उनकी मरम्मत ।

(7) बिजली के धक्के का उपचार तथा उपचार के ढंग और अवधि ।

(8) ए0सी0 तथा डी0सी0 मीटर के कनेक्शन और उनका पढ़ना ।

ला0अनु0 प्रपत्र/13

(शर्त संख्या- 3(ख) (1) तथा 6 देखिये)

विद्युत सुपरवाइजर की परीक्षा राज्य पाठ्यक्रम (Syllabus) में बैठने के लिये आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम: ---
2. पिता का नाम: ---
3. डाक का पूरा पता: ---
4. जन्म दिनांक (जो प्रमाण पत्र में दिया हो) ---
5. शैक्षिक अर्हताएं:
   परीक्षा पास करने के वर्ष का उल्लेख करते हुए (1) --
   (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाय) (2)--
6. प्राविधिक अर्हतायें:
   परीक्षा पास करने का वर्ष का उल्लेख करते हुए (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

(1) (राज्य पाठ्यचर्या) के आधार पर प्रदान किये गय वायरमैन परमिट के ब्यौरे तथा उसके जारी किये जाने और अवधि समाप्त होनें का दिनांक: ---

(2) प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के ब्यौरे ---

(3) कोई अन्य अर्हता ---

7. व्यावहारिक अनुमतः-
   (प्रमाण पत्रों तथा शीलपत्रों (Testimonials) की प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न की जाय:-

1) यदि लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार हो, लाइसेंस की संख्या और उसके जारी किये जाने का दिनांक लिखिए । ---

2)	यदि उसके पास वायरमेन परमिट हो तो उसकी परमिट सं0 तथा फर्मो के नाम और उनके यहां कार्य ग्रहण करने तथा कार्य करने तथा कार्य छोड़ने का दिनांक लिखिये ।	---
3)	यदि उसके पास औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो तो उन फार्मो का नाम लिखिये जहां कार्य किया हो तथा उसके यहां कार्य ग्रहण करने तथा छोड़ने का दिनांक लिखिये ।	---
4)	यदि किसी रजिर्स्टड फैक्ट्री में या ऐसे अन्य संस्थान में जिसे इंडियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम-45 के प्रवर्तन से मुक्त किया गया हो, इलेक्ट्रिकल लाइन में कार्य किया हो तो उनके नाम, पदनाम, कार्य प्रकार और उनके यहां कार्य ग्रहण करने तथा छोड़ने का दिनांक लिखिए ।	---
5)	यदि बी0एस0सी0 या आई0एस0सी0 परीक्षा पास की हो तो उस फर्म का नाम लिखिए जहां आपने ऊपर संख्या-4 में उल्लिखित रूप में कार्य किया है ।	---
8.	क्या इसके पूर्व ली गयी परीक्षा में आप चुने गये थे? या बैठे थे? यदि हॉ तो परीक्षा का दिनांक तथा वर्ष लिखिए ।	---
9.	शीर्षक- ’’0043-बिजली पर कर और शुल्क, 102-भारतीय विजली नियमों के अन्तर्गत फीस‘‘ के अन्तर्गत जमा किये गये 45 रूपये के चालान की सं0 तथा दिनांक (ट्रेजरी चालान की प्राप्तांकित (Receipted) प्रति संलग्न की जाए ।	---
10.	वह भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी) बताइये जिसमें अभ्यार्थी परीक्षा देना चाहता है । मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त ब्यौरा सही है ।	---
	निम्नलिखित सेवायोजक राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिनकी मुहर लगायी, के समक्ष हस्ताक्षर किया -	---
	(1) ----------------------------------	आवेदक का हस्ताक्षर --------------------------------
	(2) ----------------------------------	दिनांक:-------------------

----

आवश्यक:- किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी जो अपने लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये सक्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्ति करने के प्रयोजन से झूठा व्यपदेषन (Represntion) करेगा या ऐसा करने में सहायता देगा ।

<u>पात्र होने की शर्ते</u>

परीक्षा में बैठने के इच्छुक अभ्यार्थियों को अवश्य ही विज्ञान के साथ हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये और निम्नांकित शर्तो में कोई एक शर्त पूरी करना जरूरी है:--

(1) उन्हें लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार के रूप में राज्य में विद्युत कार्यो को करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।

(2) उन्हें राज्य का वायरमैन परमिट प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रकार के विद्युत संस्थापन कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।

(3) उन्हें इस राज्य की किसी प्राविधिक/औद्यौगिक संस्था से विद्युत व्यवसाय ट्रेड में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रिकल लाइन में 5 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिये।

(4) उन्हें किसी रजिर्स्टड फैक्ट्री, लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार या सरकारी विभाग अथवा इंडियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम-45 के प्रर्वतन से मुक्त किसी संस्थान में इलेक्ट्रिकल लाइन में 10 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिये।

(5) उन्हें विज्ञान, के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इलेक्ट्रिकल लाइन में 5 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिये।

(6) उन्हें विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इलेक्ट्रिकल लाइन में 3 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिये।

(7) उन्हें कदापि 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये और यदि उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उन्हें किसी रजिर्स्टड डाक्टर से लाजमी तौर पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडेगा कि वे शारीरिक कार्य करने में समर्थ हैं।